

**पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक प्रकटन के प्रयोजन से उन उम्मीदवारों के अंकों की घोषणा, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनुशंसित नहीं किया गया है**

सरकार ने निर्णय लिया है कि भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों के अंकों की जानकारी पोर्टलों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी ताकि अन्य नियोक्ताओं के लिए ऐसा उपयोगी डाटाबेस उपलब्ध हो, जिसके जरिए वे नियुक्ति प्रदान किए जाने के दृष्टिकोण से योग्य तथा श्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन कर सकें। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने निर्णय लिया है कि **“परीक्षा के अंतिम चरण (साक्षात्कार/एसएसबी) में शामिल हुए परंतु अनुशंसित नहीं किए गए उम्मीदवारों”** के संबंध में निम्नलिखित सूचना, आयोग की वेबसाइट पर, अनुक्रमांकवार रूप से, उपलब्ध कराई जाएगी। इस सूचना को सरकार द्वारा विकसित की जाने वाली “सार्वजनिक भर्ती एजेंसियों हेतु एकीकृत सूचना प्रणाली” नामक विशेष वेबसाइट से भी लिंक किया जा सकता है :

**“नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शा.वि.), लिंग, शैक्षणिक योग्यता, लिखित तथा साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंक (जिसके आधार पर योग्यता सूची निर्धारित हुई है), पता, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर - केवल उन उम्मीदवारों के मामले में, जो परीक्षा के अंतिम चरण में शामिल हुए परंतु जिनकी अनुशंसा नहीं की गई।”**

2. आयोग ने यह भी निर्णय लिया है कि:
  - (क) जो उम्मीदवार परीक्षा के अंतिम चरण हेतु अर्हता प्राप्त करेंगे, उनके लिए “विकल्प छोड़ने का प्रावधान” (ऑप्ट आउट क्लॉज) उपलब्ध होगा।
  - (ख) 12वीं कक्षा की परीक्षा पर आधारित परीक्षाएं[राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/नौसेना अकादमी परीक्षा], सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं[नामतः अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (समूह ख/ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा] तथा चयन हेतु आयोजित जाने वाली सीधी भर्ती परीक्षाएं, इस प्रकटन योजना के दायरे में नहीं होगी।
  - (ग) इस प्रकटन योजना का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों से संबंधित विवरण, अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद आरक्षित सूची (जहां लागू हो) के प्रयोग/समापन के पश्चात् आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
  - (घ) प्रकट की गई जानकारी, प्रकटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।
3. यह प्रकटन योजना, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2017 से लागू होगी।

4. इस प्रकटन योजना के बारे में उम्मीदवारों हेतु आवश्यक अनुदेशों की जानकारी, प्रकटन योजना के दायरे में आने वाली सभी परीक्षाओं से संबंधित आयोग के नोटिस में प्रदान की जाएगी।

5. **कोई दायित्व नहीं** : आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के गैर-अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में जानकारी साझा करने के अतिरिक्त, इस विषय में आयोग की कोई जिम्मेदारी अथवा दायित्व नहीं होगा कि आयोग की उक्त परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं में शामिल उम्मीदवारों से संबंधित जानकारियों का इस्तेमाल, अन्य निजी अथवा सार्वजनिक संगठनों द्वारा किस विधि से अथवा किस रूप में किया जाता है।

\*\*\*\*\*